तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शैतानसिंह . बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 203/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह, निवासी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.06.23. में उसके द्वारा (1) दिनांक 18.05.23 को उसके क्षरा कनिष्ठ अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग शेरगढ के खिलाफ पेश की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 985 दिनांक 11.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि शैतानसिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.23 बाबत् आवक लिपिक कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र सं0 745 दिनांक 03.07.23 द्वारा सूचित किया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.23 आवक पंजिका में निरीक्षण करने पर आना नहीं पाया गया है जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध करया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	